5/5/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। [illegible] प्रकरण की मूल पत्रावली 15/2017 का निर्णय दि. 3.12.2018 का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न मौका फोटो से यह साफ नहीं होता है कि मौके पर कोई सड़क का निर्माण किया गया है। निर्णय हुए 4 माह से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है और निर्णय प्रार्थी (अपीलांट) के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोंडेंटगण, जिनके खेत तक आवागमन हेतु रास्ता दिया गया है, मुताबिक नक्शा पटवार के पक्ष में निर्णय हुआ है। जिससे [illegible] हो सकता है इन्होंने उस मौके पर रास्ते का उपयोग चालू शुरू कर लिया हो। प्रस्तुत तथ्य [illegible] के निस्तारण हेतु पर्याप्त नहीं होने से हस्तक्षेप-प्रार्थना [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली जवाब सुनवाई हेतु नियत तिथि पर पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर